

फर्द आह्वाम

खनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधनेर

केस सं.

/ 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>Reg. No. जारी होना पत्रावली दिनांक 20/12/24 को पेश हो। ✓</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोधनेर, जयपुर</p>	
20.12.24		<p>पत्रावली पेश हुई। 9 नवम्बर परिकल्पित उपस्थित। पूर्व की पाठ्या में पत्रावली दिनांक 8/1/25 को पेश हो।</p>	
8/1/25		<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/1/25 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोधनेर, जयपुर</p>	कार्य पुर
29.1.25		<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी को प्रतिवादीगण की तामील जारी Reg. Ad कराने हेतु पूर्व में पत्रावली भवसर दिये जाने के उपरांत भी मांदिनांक तक तामील नहीं कराने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आरंभ - 9 विग्रम - 5 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली नुमांदा कुमार होकर जोधनेर से पेश होकर दाखिल रफ्तार हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोधनेर, जयपुर</p>	